यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक लक्सर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार, सुपरवाइजर एवं श्री मातवर सिंह राणा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.12.2020 से 23.12.2020 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सलीम खान, व.ले.प. एवं श्री नीरज कुमार एवं श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.09.2019 से 20.09.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह ---- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह ---- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- तहसील लक्सर

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	866.70
2018-19	902.69
2019-20	997.04

(ii) (c) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय का विवरण		बजट/आधिक्य	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
लागू नहीं						

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन नहीं होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव > महानिरीक्षक निबंधन > अपर महानिरीक्षक निबंधन > सहायक महानिरीक्षक निबंधन > उप निबंधक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **कार्यालय उप निबन्धक लक्सर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबन्धक लक्सर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह 01/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह --- एवं --- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 महिला क्रेता को उसके जीवनकाल में अधिकमत दो बार स्टाम्प शुल्क में छूट की निगरानी हेतु साँफ्टवेयर में प्रावधान न किए जाने एवं शासनादेश के पश्चात महिला क्रेताओं को रू 9.60 लाख की स्टाम्प शुल्क में छूट दिया जाना।

प्रस्तर-02 रू0 1.56 लाख स्टाम्प शुल्क छूट का अनियमित लाभ अनुमन्य किया जाना एवं धारा 167 के प्रावद्यानों के अन्तर्गत रू0 62.62. लाख मूल्य की **औघोगिक** सम्पत्ति का राजसात न किया जाना।

प्रस्तर-03 विलेख पत्र में त्रुटि पूर्ण तरीके से गणना करके स्टाम्प शुल्क रू0 44,300.00 कम अदा किया जाना।

प्रस्तर-04 रजिस्ट्रेशन शुल्क का कम प्राप्त किया जाना रू0 50000.00

प्रस्तर-05 कम्पयूटरीकृत उप–निबन्धक कार्यालय के डाटाबेस को मुख्याालय प्रेषित न किया जाना।

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर-01 महिला क्रेता को उसके जीवनकाल में अधिकमत दो बार स्टाम्प शुल्क में छूट की निगरानी हेतु साँफ्टवेयर में प्रावधान न किए जाने एवं शासनादेश के पश्चात महिला क्रेताओं को रू 9.60 लाख की स्टाम्प शुल्क में छूट दिया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या: 217/XXVII(9)/स्टाम्प-53/2009, देहरादून दिनांक 31.07.2017 के अनुसार वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक महिलाओं के पक्ष में 25 लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में अनुमन्य पच्चीस प्रतिशत तक की छूट किसी भी महिला क्रेता को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय उपनिबन्धक- लक्सर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि महिला क्रेता को प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है। किन्तु महिला द्वारा प्राप्त किये गये छूट की संख्या की निगरानी हेतु Software में कोई प्रावधान नहीं किया गया। (संलग्नक विवरण के अनुसार) विलेख पत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न महिला क्रेताओं के प्रथमवार एवं द्वितीयवार भूमि का क्रय करने पर दिनांक 1.8.2017 से स्टाम्प शुल्क में कुल रू 9,60,240.00 छूट का लाभ लिया गया है। यही नहीं कुछ एक विलेख पत्रों में तो छूट की संख्या का भी उलेलेख नहीं किया गया है, उसको भी महिला क्रेता होने के नाते कार्यालय द्वारा स्टाम्प शुल्क की धनराशि में छूट का लाभ दिया गया है। कार्यालय द्वारा यह ज्ञात ही नहीं किया गया कि महिला क्रेता द्वारा आदेश के जारी होने से पूर्व कितनी बार सम्पत्ति की खरीद करने पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त की गयी। उक्त शासनादेश में स्पष्ट कहा गया था कि क्रेता महिलाओं के द्वारा दो बार छूट का लाभ अपने जीवन काल में लिया जा सकता है। परन्तु क्रेता महिलाओं के द्वारा भूमि क्रय करने पर दो बार से अधिक लाभ प्राप्त करने पर इसका सत्यापन करने का कोई भी तरीका विभाग द्वारा नहीं तैयार किया गया था ताकि शासनादेश की मूल मंशा का कोई अनुचित लाभ लेकर शासन को राजस्व क्षति ना पहुँचा सके। महिला क्रेताओं द्वारा अपने जीवनकाल में पूर्ण छूट का लाभ ना दर्शाये जाने के कारण महिला क्रेताओं को दी गयी छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से रू 9,60,240.00 स्टाम्प शुल्क की वसूली महिला क्रेताओं से कम की गई थी।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि महिला क्रेता के पक्ष में लिखित लेखपत्रों पर 31.07.2017 के बाद दो बार ही छूट लेने का प्रावधान किया गया है। इस तिथि के पूर्व पंजीकृत लेखपत्रों पर ली गयी छूट की गणना उक्त तिथि के पश्चात छूट में शामिल नहीं किया गया है। एवं महिला क्रेता द्वारा कितनी बार छूट प्राप्त की है उसका उल्लेख विलेख पत्र में दिया जाना है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा महिला क्रेता को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार स्टाम्प शुल्क में छूट अनुमन्य है न कि दिनांक 31.07.2017 के पश्चात दो बार एवं इस सम्बन्ध में कोई पंजिका/अभिलेख का रखरखाव नहीं है तथा निगरानी हेतु साफ्टवेयर (विभागीय एप्लीकेशन) में भी कोई प्रावधान नहीं है। महिला क्रेता को उलके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार स्टाम्प शुल्क में छूट की निगरानी हेतु साफ्टवेयर में प्रावधान न करने एवं शासनादेश के पश्चात महिला क्रेताओ को रू 9.60 लाख की स्टाम्प शुल्क की छूट दिया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक	मालियत जिस पर स्टाम्प दी जानी थी	दिनांक 01.08.2017 के पश्चात् महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या	दो से अधिक बार छूट प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प में कमी
1	2	3	4	5	6	7
1	1/3297/145/7.01.2020	854000	प्रथमवार	42700	32050	10650
2	1/3297/149/7.01.2020	1080000	प्रथमवार	54000	49500	4500
3	1/3297/150/7.01.2020	474000	प्रथमवार	23700	17800	5900
4	1/3297/152/7.01.2020	372000	छूट का कोई उल्लेख नहीं	18600	14000	4600
5	1/3299/197/8.01.2020	548000	दूसरी बार	27400	20550	6850
6	1/3299/705/10.1.2020	113000	प्रथमवार	5650	4300	1350
7	1/3300/207/10.1.2020	120000	प्रथमवार	6000	4500	1500
8	1/3300/708/10.01.2020	823000	प्रथमवार	41150	30920	10250
9	1/3300/209/10.1.2020	167000	प्रथमवार	8350	6300	2050
10	1/3300/210/10.01.2020	416000	प्रथमवार	20800	15600	5200
11	1/3300/217/14.01.2020	355000	प्रथमवार	17750	13400	4350
12	1/3300/219/14.01.2020	1349000	प्रथमवार	67450	50600	16850
13	1/3301/222/14.01.2020	274000	प्रथमवार	13700	10300	3400
14	1/3301/223/14.01.2020	461000	प्रथमवार	23050	17300	5750
15	1/3301/226/14.01.2020	582000	प्रथमवार	29100	21900	7200
16	1/3301/228/14.01.2020	626000	प्रथमवार	31300	23500	7800
					योग	98200

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक	मालियत जिस पर स्टाम्प दी जानी थी	दिनांक 01.08.2017 के पश्चात् महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या	दो से अधिक बार छूट प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प में कमी
1	2	3	4	5	6	7

1	1/3290/1/1.01.2020	3061000	प्रथमवार	153050	121800	31250
2	1/3290/2/1.01.2020	266000	छूट की सं0 का उलेलेख नहीं है	13300	10000	3300
3	1/3290/3/1.1.2020	540000	दूसरीवार	27000	20300	6700
4	1/3290/5/1.1.2020	112000	प्रथमवार	5600	4200	1400
5	1/3291/10/3.01.2020	822000	प्रथमवार	41100	30900	10200
6	1/3291/12/3.01.2020	507000	प्रथमवार	25350	21200	4150
7	1/3292/38/3.01.2020	1800000	छूट का उल्लेख नहीं है	3250	2450	800
8	1/3292/44/3.01.2020	547000	प्रथमवार	27350	20600	6750
9	1/3292/45/3.01.2020	390000	प्रथमवार	19500	14700	4000
10	1/3292/48/3.01.2020	59000	छूट की संख्या का उल्लेख नहीं है	2950	2300	650
11	1/3292/51/3.01.2020	286000	प्रथमवार	14300	12550	1750
12	1/3293/55/3.01.2020	210000	प्रथमवार	10500	7900	2600
13	1/3293/56/3.01.2020	803000	प्रथमवार	40150	30200	9950
14	1/3293/81/4.01.2020	128000	छूट का उल्लेख नहीं है	6400	5600	800
15	1/3294/98/6.01.2020	1887000	प्रथमवार	94350	70800	23550
16	1/3295/111/6.01.2020	236000	प्रथमवार	11800	8850	2950
17	1/3295/112/6.01.2020	146200	प्रथमवार	73100	55000	18100
18	1/3295/115/6.01.2020	729000	प्रथमवार	36450	27400	9050
19	1/3295/119/6.01.2020	1334000	प्रथमवार	66700	50100	16600
20	1/3296/126/6.01.2020	152000	दूसरीवार	7600	5800	1800
21	1/3296/130/6.01.2020	88000	प्रथमवार	4400	3300	1100
22	1/3296/135/6.01.2020	601000	प्रथमवार	30050	22600	7450
23	1/3296/142/7.01.2020	309000	प्रथमवार	15450	11600	3850
					योग	95200

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक	मालियत जिस पर स्टाम्प दी जानी थी	दिनांक 01.08.2017 के पश्चात् महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या	दो से अधिक बार छूट प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प में कमी
1	2	3	4	5	6	7
1	1/3310/423/21.1.2020	186000	प्रथमवार	9300	7000	2300
2	1/3310/424/21.1.2020	186000	प्रथमवार	9300	7000	2300
3	1/3310/425/21.1.2020	642000	प्रथमवार	32100	24100	8000
4	1/3310/427/21.1.2020	514000	प्रथमवार	25700	19300	6400
5	1/3310/428/21.1.2020	514000	प्रथमवार	25700	19300	6400
6	1/3310/429/21.1.2020	642000	प्रथमवार	32100	24100	8000
7	1/3310/431/22.1.2020	421000	प्रथमवार	21050	15800	5250
8	1/3310/432/22.1.2020	450000	प्रथमवार	22500	16900	5600
9	1/3310/433/22.1.2020	514000	प्रथमवार	25700	19300	6400
10	1/3310/434/22.1.2020	1283000	प्रथमवार	64150	48120	16030
11	1/3310/435/22.1.2020	925000	प्रथमवार	45750	42000	3750
12	1/3310/436/22.1.2020	455000	प्रथमवार	22750	17100	5650
13	1/3310/437/22.1.2020	425000	प्रथमवार	20750	15600	5150
14	1/3311/439/22.1.2020	672000	प्रथमवार	33600	25200	8400
15	1/3311/440/22.1.2020	359000	प्रथमवार	17950	13500	4450
16	1/3311/442/22.1.2020	1040000	प्रथमवार	52000	39000	13000
17	1/3311/447/22.1.2020	1172000	प्रथमवार	58600	44000	14600
18	1/3311/448/22.1.2020	1172000	प्रथमवार	58600	44000	14600
19	1/3311/450/22.1.2020	1045000	प्रथमवार	52250	39500	12750

	योग	149030

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक	मालियत जिस पर स्टाम्प दी जानी थी	दिनांक 01.08.2017 के पश्चात् महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या	दो से अधिक बार छूट प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प में कमी
1	2	3	4	5	6	7
1	1/3305/334/16.1.2020	401000	प्रथमवार	20050	15100	4950
2	1/3306/364/17.1.2020	1140000	प्रथमवार	57000	41800	15200
3	1/3306/365/17.1.2020	109000	प्रथमवार	5450	4100	1350
4	1/3306/368/17.1.2020	246000	प्रथमवार	12300	9300	3000
5	1/3306/370/17.1.2020	674000	प्रथमवार	33700	25300	8400
6	1/3306/371/17.1.2020	2355000	प्रथमवार	117750	88400	29350
7	1/3306/372/17.1.2020	275000	प्रथमवार	13750	10350	3400
8	1/3306/373/17.1.2020	226000	प्रथमवार	11300	8500	2800
9	1/3307/374/17.1.2020	521000	छूट की संख्या का उल्लेख नहीं है	26050	19550	6500
10	1/3307/382/18.1.2020	458000	प्रथमवार	22900	17200	5700
11	1/3307/388/20.1.2020	188000	प्रथमवार	9400	7050	2350
12	1/3308/403/20.1.2020	522000	प्रथमवार	26100	19600	6500
13	1/3309/410/21.1.2020	172000	दूसरीवार	8600	6500	2100
14	1/3309/411/21.1.2020	611000	प्रथमवार	30550	23000	7500
15	1/3309/413/21.1.2020	153000	दूसरीवार	7650	5800	1850
16	1/3309/420/21.1.2020	429000	प्रथमवार	20950	15800	5150
17	1/3309/422/21.1.2020	186000	प्रथमवार	9300	7000	2300
					योग	108400

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक	मालियत जिस पर स्टाम्प दी	दिनांक 01.08.2017 के पश्चात्	दो से अधिक बार छूट	अदा किया गया स्टाम्प	स्टाम्प में कमी

		जानी थी	महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या	प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प	शुल्क	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1/3075/2012/24.04.2019	13409000	दूसरीवार	670450	601100	69350
2	1/3075/2013/24.04.2019	6704000	प्रथमवार	335200	273000	62200
					योग	**131550**

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक	मालियत जिस पर स्टाम्प दी जानी थी	दिनांक 01.08.2017 के पश्चात् महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या	दो से अधिक बार छूट प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प	अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प में कमी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1/3301/231/14.01.2020	1530000	प्रथमवार	76500	57400	19100
2	1/3301/233/14.01.2020	242000	प्रथमवार	12100	9100	3000
3	1/3301/235/14.01.2020	164000	प्रथमवार	8200	6200	2000
4	1/3301/236/14.01.2020	677000	प्रथमवार	33850	25500	8350

5	1/3301/237/14.01.2020	187000	प्रथमवार	9350	7100	2250
6	1/3301/238&237/14.01.2020	411000	प्रथमवार	20550	15500	5050
7	1/3303/295/15.01.2020	194000	प्रथमवार	9700	7300	2400
8	1/3303/296/15/01/2020	165000	प्रथमवार	8250	6200	2050
9	1/3303/298/15/01/2020	391000	प्रथमवार	19550	14700	4850
10	1/3305/329/16.01.2020	277000	प्रथमवार	13850	10420	3450
11	1/3305/328/16.01.2020	135000	प्रथमवार	6750	5100	1650
12	1/3305/329/16.01.2020	576000	प्रथमवार	28800	21600	7200
13	1/3305/330/16.01.2020	383000	प्रथमवार	19150	14400	4750
14	1/3305/331/16.01.2020	1401000	छूट की संख्या का उल्लेख नहीं है	70050	52600	17450
15	1/3305/332/16.01.2020	1126000	तदैव	56300	42300	14000
					योग	97550

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	**बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक**	**मालियत जिस पर स्टाम्प दी जानी थी**	**दिनांक 01.08.2017 के पश्चात् महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या**	**दो से अधिक बार छूट प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प**	**अदा किया गया स्टाम्प शुल्क**	**स्टाम्प में कमी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1/3313/485/23.01.2020	524000	प्रथमवार एवं दूसरीवार छूट का उल्लेख नहीं है	26200	19650	6550
2	1/3313/488/23.01.2020	207000	प्रथमवार	10350	7800	2550
3	1/3313/495/23.01.2020	209000	प्रथमवार	10450	7840	2610
4	1/3313/497/23.01.2020	207000	प्रथमवार	10350	7800	2550
5	1/3313/498/23.01.2020	778000	प्रथमवार	38900	29200	9700
6	1/3314/510/24.01.2020	120000	प्रथमवार	6000	4500	1500
7	1/3314/526/24.01.2020	580000	प्रथमवार	29000	21800	7200
8	1/3314/527/24.01.2020	154000	छूट की संख्या का उल्लेख नहीं है	7700	5800	1900

9	1/3315/532/25.01.2020	425000	प्रथमवार	21250	15950	5350
10	1/3315/537/27.01.2020	419000	प्रथमवार	20950	15800	5150
11	1/3316/548/27.01.2020	852000	प्रथमवार	42600	32000	10600
12	1/3316/562/27.01.2020	226000	प्रथमवार	11300	8500	2800
13	1/3316/563/27.01.2020	550000	छूट की संख्या का उल्लेख नहीं है	27500	20750	6750
14	1/3316/565/27.01.2020	110000	प्रथमवार	5500	4200	1300
15	1/3318/601/28.01.2020	629000	दूसरीवार	31450	23600	7850
16	1/3318/602/28.01.2020	880000	प्रथमवार एवं दूसरीवार	44000	33000	11000
17	1/3318/603/28.01.2020	445000	प्रथमवार	22250	16700	5500
					योग	90860

कार्यालय उप निबन्धक लक्सर

क्र0सं0	**बही सं0/जिल्द सं0/लेखपत्र सं0/रजिस्ट्री दिनांक**	**मालियत जिस पर स्टाम्प दी जानी थी**	**दिनांक 01.08.2017 के पश्चात् महिला क्रेता द्वारा प्राप्त छूट की संख्या**	**दो से अधिक बार छूट प्राप्त होने के कारण पूर्ण दर से स्टाम्प**	**अदा किया गया स्टाम्प शुल्क**	**स्टाम्प में कमी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	3318/604/28.01.2020	110000	प्रथमवार	5500	4150	1350
2	1/338/605/28.01.2020	245000	प्रथमवार	12250	9200	2750
3	1/3318/606/28.01.2020	827000	छूट की सं0 का उल्लेख नहीं है	41350	31100	10250
4	1/3318/607/28.01.2020	261000	छूट की सं0 का उल्लेख नहीं है	13050	9800	3250
5	1/3318/610/28.01.2020	4875000	प्रथमवार	243750	212600	31150
6	1/3319/646/29.01.2020	564000	प्रथमवार	28200	21200	7000
7	1/3319/647/29.01.2020	636000	प्रथमवार	31800	23900	7900
8	1/3320/665/29.01.2020	335000	प्रथमवार	16750	12600	4150
9	1/3321/693/30.01.2020	175000	प्रथमवार	8750	6600	2150
10	1/3321/697/30.01.2020	319000	प्रथमवार	15950	12000	3950
11	1/3322/710/31.01.2020	468000	प्रथमवार	23400	17600	5800
12	1/3322/711/31.01.2020	733000	प्रथमवार	36650	27500	9150
13	1/3322/716/31.01.2020	320000	छूट की सं0	16000	12000	4000

			का उल्लेख नहीं है			
14	1/3322/718/31.01.2020	427000	प्रथमवार	21350	16100	5250
15	1/3322/719/31.01.2020	214000	प्रथमवार	10700	8100	2600
16	1/3323/722/31.01.2020	582000	प्रथमवार	29100	21900	7200
17	1/3223/722/31.1.2020	582000	दूतीयवार	29110	21900	7200
					योग	115100

भाग-2(ब)

प्रस्तर-02 रू0 1.56 लाख स्टाम्प शुल्क छूट का अनियमित लाभ अनुमन्य किया जाना एवं धारा 167 के प्रावधानों के अन्तर्गत रू0 62.62 लाख मूल्य की औघोगिक सम्पत्ति को राजसात न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 350/XXXVI(3)/2018/79/2018 देहरादून 06 अक्टूबर 2018 में जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया कि उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार 143 क धारा 143 में किसी बात के होते हुऐ भी किसी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन से करने के आशाय से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/सम्मति प्राप्त होते ही वह भूमि अथवा धारा 154 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनों हेतु क्रय की गयी भूमि धारा 143 के अन्तर्गत औद्योगिक आशाय से प्रख्यापित हुई **समझी** जायेगी। परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी जैसा भी स्थिति हो के द्वारा भूमि **क्रय** करने की दी गयी अनुमति की शर्तो का पालन ना करने अथवा किन्ही **शर्तों** का **उल्लंघन** करने पर अथवा जिस प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की गयी है उससे अन्यथा प्रयोग करने पर अन्तरण शून्य होगा। एवं धारा 167 के परिणाम उत्पन्न हो जायेगे।

शासन के पत्रांक संख्या 3196 दिनांक 12.11.2008 एवं 923/(2)/2008-/(95)68 **दिनांक** 10.12.2008 एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ मै0 राणा ग्लोवल लि0 108–109 प्रताप भवन, 5बहादुर शॉह जफर मार्ग नई दिल्ली को ग्राम गंगनौली तहसील लक्सर में मैगा **प्रोजेक्ट** की स्थापना करने हेतु खसरा सं0 280,281,283,284,286, एवं 287 जिसका कुल रक्बा 7.566 हैक्टेयर **अर्थात** 18.70 भूमि क्रय करने की अनुमति शासन की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी गयी थी। जारी शासनादेश में दी गयी शर्त में स्पष्ट कहा गया था कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल इन्टीगेटेड स्टेनलैस स्टील मैगा प्लान्ट की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में भूमि विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

कार्यालय उप–निबन्धक,लक्सर हरिद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विक्रेता मैसर्स राणा **ग्लोबल** लिमिटेड द्वारा शासन की अनुमति 2008 में प्राप्त अनुमति के उपरान्त बही सं0 1 जिल्द संख्या 464 पृष्ठ सं0 52 क्रमांक संख्या 4877 दिनांक 26.12.2008 से खसरा न0 280 रक्बा 2.178 है0 विक्रेता का अपना हिस्सा कुल

का 1/4 भाग बकदर भाग 0.5445 है0 का क्रय औद्योगिक स्थापना करने के लिये किया गया था, क्रय भूमि की वर्ष 2008 में मालियत रू0 63.78 लाख थी जिस पर स्टाम्प अदा किया गया था। पूर्व में क्रय की गयी औद्योगिक भूमि को शासन **की** बिना विक्रय अनुमति प्राप्त किये ही क्रेता फरमान पुत्र श्री नीजाम खान निवासी लक्सर हरिद्वार को खसरा नं0 280 0.27225 है0 अर्थात 2722.5 वर्ग मी0 सम्पत्ति रू0 62,62,000.00 में विलेख पत्र संख्या 2412 दिनांक 17.5.2019 के द्वारा विक्रय कर दिया गया था, जिस पर क्रेता द्वारा रू0 3,13,000.00 स्टाम्प अदा किया गया था। क्रेता द्वारा शासन से औद्योगिक भूमि क्रय एवं विक्रय करने की अनुमति तथा औधोगिक भूमि पर उद्योग की स्थापना किये जाने की शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना ही एक माह के भीतर श्री वसीम अहमद पुत्र श्री मौ0 अकबर बैनामा रू0 20.00 लाखबाजारी मालियत रू0 62,62,000.00 लाख अदा स्टाम्प शुल्क 157000.00 बही सं01 जिल्द 3114 क्रमांक 2780 दिनांक 10.6.2019 (द्वारा निदेशक मैसर्स अन्नपूर्णा रोलिंग मिल्स **लि0**) निवासी सुजडू मेरठ रोड जहॉगीर पट्टी मुजफफरनगर उत्तर प्रदेश को ग्राम गगनौली परगना मंगलौर तहसील लक्सर खाता संख्या 131 खसरा सं0 280 से 0.27225 है0 अर्थात 2722.5 वर्ग मी0 सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया था। क्रेता निदेशक मैसर्स अन्नपूर्णा रोलिंग मिल्स **लि0**) निवासी सुजडू मेरठ रोड जहॉगीर पट्टी मुजफफरनगर उत्तर प्रदेश ग्राम गगनौली परगना मंगलौर तहसील लक्सर के द्वारा भी शासन से भूमि क्रय करने तथा उस औद्योगिक भूमि पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्राप्त नही की गयी थी, जबकि क्रय की गयी औद्योगिक सम्पत्ति पर क्रेता द्वारा अधिसूचना सख्या 205/XXVII(9) U O 05/Stamp/2015 दिनांक 29.10.2015 के द्वारा उद्यम स्थापना हेतु उद्यम नीति 2015 में वार्णित प्राविधानुसार 50 प्रतिशत छूट का लाभ लेते हुऐ 5 प्रतिशत निर्धारित स्टाम्प रू0 3,13,100.00 के सापेक्ष रू0 1,57,000.00 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो गयी। विभाग द्वारा पंजीकृत किये जाने वाले विलेख पत्रों की जॉच किये बिना ही औद्योगिक भूमि के विलेख पत्रों **को** पंजीकृत किया गया था तथा पंजीकृत विलेख पत्र पर क्रेता को स्टाम्प शुल्क की धनराशि में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जबकि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग0 मी0 से अधिक भूमि क्रय करने के लिये शासन/जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रय किया जा सकता है।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि भूमि औधोगिक क्षेत्र में स्थित है, भू–अध्यादेश के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में भूमि क्रय करने की आवश्यकता नही है। लेखपत्र में श्रेणी के आधार पर स्टाम्प की देयता नही होती है। एवं लेखपत्र में क्रेता द्वारा उत्तराखण्ड का मूल निवासी होने का उल्लेख किया है।

विभागीय उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य ही नही है, क्योकि वर्ष 2008 में पूर्व क्रेता को औद्योगिक भूमि क्रय करने की दी गयी अनुमति की निम्नलिखित शर्तो के **उल्लंघन** किये जाने पर खसरा संख्या 280 की विक्रीत भूमि 0. 27225 है0 जिसकी कीमत रू0 62,62,000.00 है उसको राज्य सरकार को राजसात किये जाने की अनुशंसा

करते हुऐ प्रकरण को उच्चाधिकारियों के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाना चाहिऐ था ताकि शासन के द्वारा विक्रीत सम्पत्ति को राजसात करने के कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती। क्रेता को प्रदान की गयी अनुमति जिसमें कहा गया था कि क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर उसी प्रयोजन के लिये करना था, जिसके लिये अनुमति प्रदान की गई थी। यदि क्रेता के द्वारा क्रय भूमि जिसका प्रयोजनार्थ हेतु क्रय किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होगे। क्रेता द्वारा ना तो उस भूमि पर उद्योग स्थापित किया गया था और ना ही शासन से विक्रय की अनुमति ही प्राप्त की गयी थी, जोकि शासनादेश की शर्तो का स्पष्ट **उल्लंघन** था। कार्यालय के द्वारा विलेख पत्र को पंजीकृत करने से पूर्व यह देखा जाना था, कि विक्रेता द्वारा भूमि का विक्रय **शासनादेश** की **शर्तों** का पालन सुनिशिचित करते हुऐ ही किया जा रहा है और क्रेता द्वारा भी औद्योगिक भूमि का क्रय शासन की स्वीकृत शर्तो का पालन सुनिशिचित करते हुऐ किया जा रहा है, तभी क्रेता को शासनादेश की शर्तो के अनुसार स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देते हुऐ विलेख को पंजीकृत किया जाना था। अन्यथा की दशा में विलेख पत्र को अभिलेखों की प्रत्याशा में स्थगित कर कमी स्टाम्प निकालते हुऐ शासन एवं उच्चाधिकारियों को उचित निर्णय लेने हेतु प्रेषित किया जाना चाहिऐ था। विभाग द्वारा ऐसा नही किया गया, बल्कि विक्रेता एवं क्रेता द्वारा अनियमित तरीके से औद्योगिक भूमि के क्रय एवं विक्रय विलेख पत्र को पंजीकृत करके 50 प्रतिशत छूट रू0 156100.00 स्टाम्प लाभ भी अनुमन्य किया गया था, जोकि स्टाम्प छूट शासनादेश एवं औद्योगिक नीति नियमो के विपरीत था। इसलिये स्टाम्प शुल्क की कम धनराशि रू0 1,56,100.00 की वसूली अर्थदण्ड और मय ब्याज सहित सम्प्रेक्षा में अपेक्षित रहेगी। खाता संख्या 131, खसरा संख्या 280 की विक्रीत भूमि 0.27225 है0 को विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नीति जारी शासनादेश सख्या 387/697–उ0नि0/पीएस/आईडी/06 दिनांक 20 दिसम्बर 2006 केवल मैगा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये दी गयी थी, जिसकी कीमत रू0 62,62,000.00 है उसको राज्य सरकार को राजसात किये जाने के **आदेशों** की सम्प्रेक्षा में प्रत्याशा लम्बित रहेंगी।

अतः प्रकरण 50 प्रतिशत छूट रू0 156100.00 स्टाम्प शुल्क एवं खाता संख्या 131, खसरा संख्या 280 की विक्रीत भूमि 0.27225 है0 रू0 62,62,000.00 **को** उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-03 विलेख पत्र में त्रुटि पूर्ण तरीके से गणना करके स्टाम्प शुल्क रू0 44,300.00 कम अदा किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञापः– 17/2020/xxvii(9)/Stamp-80/2009 वित्त अनुभाग–दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी सर्किल दर सूची के सामान्य अनुदेशिका जोकि मूल्याकंन सूची का भाग है, के क्रम संख्या 1 घ के अनुसार कृषि /अकृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौडे मार्ग के किनारे स्थित है तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत से अधिक मूल्याकंन किया जायेगा। पुनः समान्य **अनुदेशिका** के क्रम संख्या 4 के अनुसार ऐसी दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान के मूल्याकंन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी **सम्मिलित** हो, तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्याकंन,मूल्याकंन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण दोनो की दरें सम्मलित है, के अनुसार संलग्नक **खुली** भूमि का मूल्याकंन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 गुना दर के आधार पर आकलित किया जायेगा।

कार्यालय उप–निबन्धक,लक्सर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विलेख पत्र संख्या बही संख्या 1जिल्द 3491पृष्ठ 269 से 294 क्रमांक 4141 दिनांक 29.8.2020 में सर्किल दर रू0 8600.00 प्रति वर्ग0 मी0 में रास्ते का 15 प्रतिशत रू0 1290.00 बढाकर व व्यवसायिक सम्पत्ति होने के कारण रू0 8600.00 पर ही 10 प्रतिशत अतिरिक्त 860.00 रूपये बढाकर एवं रू0 1,34,000.00 बाउर्डी बाल की कीमत जोडकर कुल मूल्याकंन रू0 2,21,72,000.00 पर स्टाम्प शुल्क महिला छूट के साथ रू0 10,77,500.00 अदा किया गया था। जबकि सर्किल दर के सामान्य **अनुदेशिका** के क्रम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित दर का 1.10 गुना करके मूल्याकंन किया जाना था, जिसका मूल्याकंन निम्नानुसार करके स्टाम्प शुल्क अदा किया जाना था।

विक्रीत सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल 2050वर्ग0 मी0

सर्किल दर सूची के अनुसार दर रू0 8600.00 **प्रति वर्ग मी**

18मी0 से अधिक चौडा रास्ता होने के कारण 15 प्रतिशत वृद्वि के पश्चात निर्धारित दर रू0 9890.00 प्रति वर्ग मी0

व्यवसायिक सम्पत्ति होने के कारण निर्धारित दर का 1.10 गुना के अनुसार रू0 10879.00 (9890X1.10)

सम्पत्ति का मूल्याकंन 2050x 10879= Rs. 223,01,950.00

बाउर्डीबाल की कीमत 133.93x1000= Rs.1,33,930.00

सम्पत्ति का कुल मूल्याकंन Rs. 2,24,35,880.00(₹22301950+₹133930) अर्थात रू0 2,24,36,000.00

महिला क्रेता के द्वारा दिनांक 1.8.2017 के पश्चात ली गयी छूट का उल्लेख किया गया किन्तु जीवनकाल में ली गयी छूट का उल्लेख ना किये जाने के कारण मु0 25.00 लाख पर स्टाम्प शुल्क की छूट अनुमन्य नही हो सकती।

अतः देय कुल स्टाम्प शुल्क रू0 2,24,36,000x5%=11,21,800.00

अदा किया गया स्टाम्प रू0 10,77,500.00

स्टाम्प शुल्क में कमी रू0 44,300.00

इस प्रकार क्रेता के द्वारा रू0 44,300.00 कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल के अनुसार निर्धारित दर तथा **निर्देशों** के अनुरूप ही लेखपत्र में अंकित भूमि का मूल्याकंन किया है। भूमि मुख्यमार्ग पर स्थित होने के कारण रोड बाइडिग का 15 प्रतिशत अधिक तथा **व्यावसायिक** होने पर सर्किल दर के **निर्देशानुसार** 10 प्रतिशत अधिक से मूल्याकंन किया गया है। उक्त लेखपत्र में उचित मूल्याकंन किया गया है।

विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योकि सम्प्रेक्षा द्वारा सर्किल दर में दिये गये अनुदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रोड राइडर सामान्य दर में **वृद्धि** की जायेगी एवं व्यवसायकि निर्धारित दर में **वृद्धि** की जायेगी। **सम्पत्ति** के लिये निर्धारित दर रोड राइडर लगाने के पश्चात ही निर्धारित होती है । अतः स्टाम्प शुल्क में कमी रू0 44,300.00 **का** प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-04 रजिस्ट्रेशन शुल्क का कम प्राप्त किया जाना रू0 50000.00

रजिस्ट्रेशन मैनुअल उत्तर प्रदेश यथा उत्तराखण्ड में प्रवित्त की परिशिष्ठ एक की टिप्पणी क्रमांक एक के अनुसार किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस जिसमें कई सुभिन्न मामले समाविष्ट हो, ऐसे फीस का योग होगी जो प्रत्येक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उनसे सम्बन्धित पृथक–पृथक दस्तावेज पर प्रभार्य होगी।

कार्यालय सब रजिस्ट्रार लक्सर हरिद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विलेख पत्र संख्या 2563/27.5.2019 क्रेता श्री मनोज कुमार द्वारा विक्रेता श्रीमती शिबवाला, राजीव कुमार गुप्ता एवं मनोज कुमार से व्यवसायिक सम्पत्ति का क्रय किया गया था, जिसका विक्रीत भूमि क्षेत्रफल 2062.5 है0 जिसमे कवर्ड एरिया 191.8 वर्ग0 मी0 है। विक्रीत सम्पत्ति की मालियत रू0 1,34,92,000.00 पर 5 प्रतिशत की दर से रू06,74,600.00 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, तथा विक्रेता तीन होने पर केवल रजिस्टेशन शुल्क रू0 25,000.00 ही नकद जमा किया गया था। विक्रीत व्यवसायिक सम्पत्ति बहीसंख्या 01 जिल्द 3102 पृष्ठ 323 से 354 क्रमांक संख्या 2563 तक दिनांक 27.5.2019 को रजिस्ट्रीकरण किया गया था। तीनो विक्रेतागण के नाम से क्रेता द्वारा टी0डी0एस0 चालान संख्या 00730, 00607 एवं 00780 से अलग अलग जमा किया गया है, इसलिये रजिस्ट्रेशन शुल्क भी रू0 25,000.00 प्रत्येक तीनो से अलग अलग वसूल किया जाना था, अर्थात तीनो विक्रेता द्वारा अलग अलग प्राप्त की गई विक्रय सम्पत्ति धनराशि पर अलग-अलग आयकर का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक से रू0 25,000.00 अलग-अलग रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाना था, जोकि रू0 50,000.00 कम लिया गया है। प्रत्येक विक्रेता द्वारा जमा किये गये चालान पर अलग–अलग अपने हस्ताक्षर करके अपने पक्ष में टी0डी0एस0 की जमा की गयी धनराशि का सत्यापन क्रेता के साथ किया गया है।

इस सबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि लेखपत्र में संयुक्त परिवार के व्यक्तियों द्वारा सामुहिक रूप से भूमि का विक्रय किया गया है। विक्रेता माता व पुत्र का सम्बन्ध है। लेखपत्र में विक्रेताओं के अलग–अलग अंश होने का कही पर भी उल्लेख नही है। उक्त आधार पर लेखपत्र में उचित निबन्धक शुल्क लिया गया है।

विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योकि क्रेता द्वारा विक्रेताओं के पक्ष में अलग–अलग टी0 डी0 एस0 धनराशि को जमा कराया गया है,जिस पर अपने–अपने जमा चालानों पर विक्रेताओ द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया था, जिससे प्रमाणित होता है कि विक्रेताओं द्वारा अपने–अपने हिस्से की धनराशि प्राप्त की गयी थी। इसलिये इस आधार के अनुसार तीनों विक्रेताओं से प्रत्येक रू0 25,000 हजार से रू0 75,000 हजार निबन्धन शुल्क लिया जाना था, जबकि केवल रू0 25000.00 हजार निबंधन शुल्क लिया गया है, इस प्रकार रू0 50000.00 निबन्धन शुल्क की वसूली विभाग द्वारा नही की गयी जिसकी वसूली किया जाना सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगा।

अतः निबन्धन शुल्क कम लिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-05 कम्पयूटरीकृत उप–निबन्धक कार्यालय के डाटाबेस को मुख्याालय प्रेषित न किया जाना।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः 182/म0नि0नि0/2011-12 दिनांक 30 मई, 2011 एवं 191/म0नि0नि0/2016-17 दिनांक 21 जून, 2016 के द्वारा समस्त उप निबन्धकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के लेखपत्रों से सम्बन्धित डाटा की सुरक्षा के दृष्टिगत डाटा को डे-टू-डे बेसिस पर स्कैन कर उसे तत्काल डी0वी0डी0 (Compact Disc) हार्ड डिस्क में अनुरक्षित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा डी0वी0डी0 की एक प्रति प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें ।

कार्यालय उप–निबन्धक लक्सर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उप–निबन्धक द्वारा अपने कार्यालय से सम्बन्धित पंजीकृत किये गये विलेखों के स्कैनिंग डेटाबेस की डी0वी0डी0 (सी0डी0) की प्रति मुख्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ईकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि यथाशीघ्र ही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की एक प्रति मुख्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः कम्प्यूटरीकृत उप–निबन्धक कार्यालय में डाटा का बैकअप/डी0वी0डी0 मुख्यालय को प्रेषित न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II अ प्रस्तर संख्या	भाग-II ब प्रस्तर संख्या	STAN
112/97-98	-	1,2,	-
172/2001-02	1,2	-	-
226/2002-03	1,2	-	-
26/2010-11	-	-	1
34/2015-16	-	1	-
71/2019-20	-	1	-

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबन्धक लक्सर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

1. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री जी.पी. त्रिपाठी	उपनिबन्धक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी. -IV